बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में नवजात एवं छोटी उम्र के बच्चों की सर्जरी के बाद एन.आई.सी.यू./ पी.आई.सी.यू. की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और ऑपरेशन के बाद उन्हें जेनरल वार्ड में रख दिया जाता है। अधीक्षक, पी.एम.सी.एच. द्वारा निर्गत पत्रांक- 1628 दिनांक- 06.02.2015 द्वारा शिशु सर्जरी विभाग के लिए स्वीकृत 28 बेड में से 14 बेड शिशु विभाग को आवंटित कर दिया गया है जो घोर आपत्तिजनक है। इसके अभाव में नवजात शिशुओं को पोस्ट ऑपरेशन की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है।

अत: शिशु सर्जरी विभाग को 14 बेड वापस आवंटित करने, पोस्ट ऑपरेशन की सभी तरह की सुविधा बहाल करने तथा शिशु विभाग के लिए भी आवश्यकतानुसार संसाधन विकसित करने के लिए सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 199/2017– 1809 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 17.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 22.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक- सं.-2/नियुक्ति- 12/2017, 74(2) दिनांक- 25.07.2017 के द्वारा संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु मार्गदर्शन निर्गत किया गया है। इसमें एम.बी.बी.एस. के प्राप्तांक को आधार बनाया गया है। एम.डी. या एम.डी.एस. में उत्तीर्णता को कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया है, जबकि उसके लिए कम से कम 10 अंक प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार निजी चिकित्सा महाविद्यालय छात्र-छात्राओं को सरकारी कॉलेजों की तुलना में काफी ज्यादा अंक देते हैं, जिससे सरकारी कॉलेजों में पढे छात्र-छात्राएं प्रभावित होंगे। इसमें मौखिक साक्षात्कार भी नहीं रखा गया है।

अत: एम.डी./ एम.डी.एस. योग्यताधारी अभ्यर्थियों तथा सरकारी कॉलेजों से पढ़े अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 200/2017– 1810 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 17.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 22.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

17/8/17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पंडौल प्रखंड के सकरी स्थित P.H.C. का भवन जर्जर अवस्था में है। वहां स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था भी नहीं है। N.H.-57 बनने के बाद अए दिन दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना स्वरूप समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण घायल मरीजों को दरभंगा ले जाना पड़ता है। P.H.C. से N.H दरभंगा मेडिकल अस्पताल शहर के मध्य में होने के कारण समय लगता है। जिसके कारण घायल मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

अत: मैं सरकार से उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के निर्माण, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु ट्रामा सेन्टर का निर्माण किए जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुमन कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 201/2017– 1811 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 17.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 22.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

17/8/17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।